

No.



नगर विकास न्यास, कोटा



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राज. सरकार

आवेदन पुस्तिका

7 आवासीय योजनाओं में
आवासीय भूखण्ड
निश्चित विक्रय दर
पर आवंटन हेतु



श्री शांति धारीवाल
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन
एवं आवासन पंजी, राज. सरकार

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्ध भूखण्ड सं.
1.	आर.के.पुरम-B	102
2.	श्रीनाथ पुरम B,D	55
3.	स्वामी विवेकानन्द नगर	63
4.	रानी लक्ष्मी बाई नगर	21
5.	विनोबाभावे नगर	100
6.	सुभाष नगर	52
7.	अनन्तपुरा	18
कुल भूखण्ड सं.		411

आवेदन पत्र विक्रय
आरम्भ करने की तिथि

03 अक्टूबर
2022

आवेदन पत्र जमा
करने की अन्तिम तिथि

31 अक्टूबर
2022

500/-

आवेदन पत्र के साथ

1. किसी भी योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन पुस्तिका बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ICICI बैंक अथवा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि सहित जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक इनमें से किसी भी बैंक में सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से जमा होंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज-
 1. आधार कार्ड की प्रति
 2. पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति (करयोग्य आय होने पर)।
 3. आवेदक अपने खाते का एक कैंसिल चैक CTS 2010 अथवा पास बुक की प्रति सलंगन करें
 4. निवास प्रमाण-पत्र
 5. स्वघोषणा पत्र (सलंगन प्रारूप के साथ)

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

1. BORKHEDA, KOTA
2. AERODROM CIRCLE, KOTA
3. DHAKAR KHERI, KOTA
4. KESHAVPURA CIRCLE, KOTA
5. RAMPURA BAZAR, KOTA
6. JHALAWAR ROAD, KOTHRI CHAURAHA
7. KUNAHARI, KOTA
8. MAHAVEER NAGAR, KOTA
9. SHRINATHPURAM, KOTA
10. STATION ROAD, KOTA
11. TALWANDI, KOTA
12. MODI COLLEGE ROAD, KOTA
13. बारां, झालावाड़ तथा बून्दी जिले की मुख्य शाखाएँ।



Baroda Rajasthan
Kshetriya Gramin Bank

1. Nayapura Kota
2. Kota Junction
3. Keshavpura Kota
4. Dadabari Kota
5. Girdharpura Kota
6. Bhamashah Mandi Kota
7. Annantpura Kota
8. Kansuwa Kota
9. Gumanpura Kota
10. Badgav Kota
11. Nanta Kota
12. Borkheda Kota
13. R. K puram Kota
14. बारां, झालावाड़ एवं बून्दी की मुख्य शाखाएँ।

ICICI Bank

18, Jhalawar Road, Kota Ph.: 3295907, 5131094

Industrial Estate, Aerodrome Circle, Kota
Ph.: 3296894, 3292064

Shri Ramnagar, Kota ph. : 5131002, 2480160

Nayapura, Kota Ph.: 3297434, 3297497

New Railway Colony, Co-Operative Bldg, Kota Jn.
Ph.: 2362284

Near Barthunia Clinic, 2 -B-14, Talwandi, kota
Ph.: 2390523, 5132545

MPB-92, Mahaveer Nagar First, Kota
Ph.: 2758642

Bhamashah Mandi, Bankers Block,
Anantpura Kota Ph.: 2490956

Bhimganj Mandi, Kota Junction, Kota
Ph.: 3295956, 2440401

Rampura Bazar, Kota Ph.: 2382382, 380380

Patanpol, Kota Ph.: 3200125, 2385152

Subzi mandi, Kota Ph.: 3292062

बारां, झालावाड़ तथा बून्दी की मुख्य शाखाएँ।

पंजाब नैशनल बैंक **PNB** punjab national bank
...परमों का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

- KOTA CITY RAMPURA BAZAR
KOTA AERODROM ROAD
KOTA INDUSTRIAL ESTATE (MCB)
KOTA-RAWAT BHATA ROAD
KOTA-INDRA VIHAR
KOTA-UIT CAD CIRCLE
KOTA DADABARI SHASTRI NAGAR
KOTA BHIM GANJMANDI
KOTA JHALAWAR ROAD
KOTA NAGAR NIGAM
KOTA ANANTPURA
KOTA BHAMASHAH MANDI
KOTA RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERCITY
KOTA MAHAVEER NAGAR, IST
KOTA R.K. PURAM
KOTA VIGYAN NAGAR
KOTA TALWANDI
बारां, झालावाड़ तथा बून्दी की मुख्य शाखाएँ।

नगर विकास न्यास कोटा

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में आवास की आवश्यकता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक मनुष्य का स्वयं का घर होने का सपना होता है। पिछले समय में न्यास द्वारा पूर्व की विकसित योजनाओं में तथा नवीन विकसित योजनाओं में निश्चित विक्रय पर लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने पर यह देखा गया है कि जो व्यक्ति तुरन्त आवास बनवाना चाहते हैं उनकी सोच होती है कि उन्हें पूर्व में विकसित योजना में भूखण्ड प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में उसके पास एक ही विकल्प होता था कि वह नीलामी के माध्यम से भूखण्ड क्रय करें। चूंकि नीलामी में भूखण्डों की दरें तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं तथा कई बार प्रतिस्पर्द्धा के कारण दरें और बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश व्यक्ति नीलामी के माध्यम से भूखण्ड क्रय करने का साहस ही नहीं कर पाते हैं। न्यास द्वारा इस दृष्टि से पूर्व में विकसित योजनाओं में रिक्त भूखण्डों को चिन्हित कर उचित दरों पर उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास है।

नगर विकास न्यास, कोटा आमजन के सपने को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आदि से युक्त पूर्व में विकसित योजनाओं में कम कीमत पर 411 आवासीय भूखण्ड निश्चित विक्रय दर पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु निर्धारित किये गये हैं।

न्यास द्वारा कोटा शहर में पूर्व में विकसित 7 योजनाओं यथा आर.के.पुरम् B, श्रीनाथपुरम् B एवं D, स्वामी विवेकानन्द नगर, रानी लक्ष्मीबाई नगर, विनोबा भावे नगर, सुभाष नगर एवं अनन्तपुरा आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध 411 रिक्त आवासीय भूखण्ड नागरिकों को लॉटरी के माध्यम से सस्ती दरों पर आवंटन किया जाना है। न्यास द्वारा कुल 411 भूखण्डों के निश्चित एवं उचित दर पर एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया है ताकि उनकी एक निश्चित एवं उचित दर पर भूखण्ड लेने का अवसर मिल सके।

इन योजनाओं के लिए कई प्रकार की छूटें दी जा रही हैं, जिनका विवरण आवेदन पुस्तिका में अंकित है।

आम जनता से अनुरोध है कि आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर अधिकतम संख्या में आवेदन करके लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित ।

राजेश जोशी
आर.ए.एस.
सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

ओमप्रकाश बुनकर
आई.ए.एस.
अध्यक्ष नगर विकास न्यास, एवं
जिला कलक्टर, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

योजनाओं में उपलब्ध भूखण्ड एवं दर

क्र. सं.	योजना	प्रयोजन	लाटरी द्वारा आवासीय प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या साईज / क्षेत्रफल	प्रस्तावित निश्चित विक्रय दर (प्रति वर्गफीट)
			5 X 9 = 45 Sqm से 15 X 27 = 405 Sqm	
1.	आर.के.पुरम- बी	आवासीय	102	3800 / -
2.	श्रीनाथपुरम- बी एवं डी	आवासीय	55	
3.	स्वामी विवेकानन्द नगर	आवासीय	63	3500 / -
4.	रानी लक्ष्मीबाई नगर	आवासीय	21	
5.	विनोबा भावे नगर	आवासीय	100	
6.	सुभाष नगर	आवासीय	52	
7.	अनन्तपुरा	आवासीय	18	
		योग	411	

विशेष छूट :-

1. आय वर्ग (इनकम ग्रुप) की बाध्यता नहीं :-

आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह दी गई किसी भी योजना में उल्लेखित साईजों में से किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

2. पूर्व में भूखण्ड/आवास होने पर भी पात्र :-

आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

3. भूखण्ड की कीमत में 5% की छूट का विकल्प :-

देय सम्पूर्ण राशि एकमुश्त 45 दिवस में जमा करने पर भूखण्ड की कीमत में 5% की छूट दी जायेगी।

4. हस्तान्तरण हेतु विक्रय अनुमति के लिए देय राशि में छूट :-

भूखण्ड के हस्तान्तरण हेतु विक्रय अनुमति प्राप्त करने के लिए देय 10% कर (लेवी) से मुक्त रखा गया है अर्थात् कोई कर (लेवी) देय नहीं है।

5. एक व्यक्ति /परिवार के द्वारा एक से अधिक आवेदन की छूट :-

एक व्यक्ति के द्वारा अथवा एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी एक से अधिक भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विशेष आकर्षण :-

1. पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क के बैंक/RTGS से भी भुगतान की सुविधा।
2. भूखण्डों का सस्ती दरों पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन।
3. लॉटरी, आवेदन की अन्तिम तिथि से एक माह में निकाली जायेगी।
4. भुगतान 15%, 35% एवं 50% क्रमशः 30 दिवस, 120 दिवस एवं 240 दिवस में किये जाने की सुविधा।
5. असफल आवेदको को पंजीयन राशि का रिफण्ड ,लॉटरी की तिथि से एक माह में।
6. चौड़ी सड़कें
7. विभिन्न वर्गों को आरक्षण की सुविधा।

न्यास द्वारा इस योजना में भूखण्डों की दरों में कमी, आवेदन करने हेतु पात्रता में विशेष छूटें एवं विशेष आकर्षण हेतु कई प्रकार की शिथिलतायें दी गई हैं। इन्हें अन्य योजनाओं अथवा नीलामी के भूखण्डों के लिए आधार या उदाहरण नहीं बनाया जा सकेगा।

योजना स्थल एवं विशेषताएं :-

1. आर.के.पुरम् योजना B :-

योजना स्थल :-

आर0के0 पुरम् योजना मेडिकल कॉलेज के समीप है। यह योजना श्रीनाथपुरम् योजना एवं विवेकानन्द नगर योजना के मध्य में है।

योजना की विशेषताएं :-

1. आर.के.पुरम् योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड पर्याप्त चौड़ाई की सड़क पर है।
2. प्लिंथ लेवल/डिमार्केशन एवं नम्बरिंग करवाई जा रही है।
3. N.H. 27/ 52 से 2.5 कि०मी० की दूरी पर है।
4. समीप ही मेडिकल कॉलेज , कोटा यूनिवर्सिटी, बालाजी मार्केट ऑडिटोरियम है।

दर 3800/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	15 X 27	405	4357.80	15	1,65,59,640/-	16,60,000/-
2	12 X 27	324	3486.24	60	1,32,47,712/-	13,30,000/-
3	7.5 X 15	112.5	1210.5	27	45,99,900/-	4,60,000/-
योग				102		

2. श्रीनाथपुरम्, B एवं D :-

योजना स्थल :-

श्रीनाथपुरम् योजना मेडिकल कॉलेज के समीप है। यह योजना बालाजी मार्केट, महावीर नगर विस्तार, कोटा रावतभाटा रोड़, आर.के.पुरम् योजना के मध्य में है।

योजना की विशेषताएं :-

1. श्रीनाथपुरम् योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड पर्याप्त चौड़ाई की सड़क पर है।
2. प्लिंथ लेवल/डिमार्केशन एवं नम्बरिंग करवाई जा रही है।
3. N.H. 27/52 से 2.5 कि०मी० की दूरी पर है।
4. समीप ही मेडिकल कॉलेज तथा बालाजी मार्केट, ऑडिटोरियम एवं श्रीनाथपुरम् स्टेडियम है।

दर 3800/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	15 X 27	405	4357.80	15	1,65,59,640/-	16,60,000/-
2	12 X 27	324	3486.24	40	1,32,47,712/-	13,30,000/-
योग				55		

3. स्वामी विवेकानन्द नगर :-

योजना स्थल :-

स्वामी विवेकानन्द नगर योजना मेडिकल कॉलेज, कोटा यूनिवर्सिटी एवं आर.के.पुरम् के समीप है।

योजना की विशेषताएं:-

1. स्वामी विवेकानन्द नगर योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड पर्याप्त चौड़ाई की सड़क पर है।
2. प्लिंथ लेवल/डिमार्केशन एवं नम्बरिंग करवाई जा रही है।
3. N.H. 27/52 से 2.5 कि०मी० की दूरी पर है।
4. समीप ही मेडिकल कॉलेज तथा कोटा यूनिवर्सिटी एवं ऑडिटोरियम है।

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	9 X 21	189	2033.64	13	71,17,740/-	7,20,000/-
2	7.5 X 15	112.5	1210.50	50	42,36,750/-	4,30,000/-
योग				63		

4. रानी लक्ष्मी बाई नगर :-

योजना स्थल :-

रानी लक्ष्मी बाई नगर योजना चाणक्यपुरी एवं टैगोर नगर योजना तथा कोटा रावतभाटा रोड़ के समीप है।

योजना की विशेषताएं :-

1. रानी लक्ष्मी बाई नगर योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड पर्याप्त चौड़ाई की सड़क पर है।
2. भूखण्डों पर प्लिंथ लेवल एवं नम्बरिंग करवाई जा रही है।
3. N.H. 27/52 से 1 कि०मी० की दूरी पर है।

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	15 X 27	405	4357.80	4	1,52,52,300/-	15,30,000/-
2	12 X 21	252	2711.52	7	94,90,320/-	9,50,000/-
3	9 X 18	162	1743.12	5	61,00,920/-	6,10,000/-
4	7.5 X 15	112.5	1210.5	5	42,36,750/-	4,30,000/-
योग				21		

5. विनोबा भावे नगर :-

योजना स्थल :-

विनोबा भावे नगर MBS मार्ग के समीप एवं खड़े गणेश जी मन्दिर के समीप है। इस योजना के समीप ही प्राईवेट बस स्टैण्ड तथा कई मार्केट विकसित हो रहे है।

योजना की विशेषताएं :-

1. विनोबा भावे नगर योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड पर्याप्त चौड़ाई की सड़क पर है।
2. सभी भूखण्डों के प्लिंथ लेवल का कार्य करवाते हुए नम्बरिंग का कार्य भी करवाया जा रहा है।
3. N.H. से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है।

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	5 X 9	45	484.20	100	16,94,700/-	1,70,000/-
योग				100		

6. सुभाष नगर आवासीय भूखण्ड :-

योजना स्थल :-

सुभाष नगर आवासीय योजनाएं सुभाष नगर बेट्टी गौरव सर्किल एवं बेट्टी गौरव पार्क के समीप है।

योजना की विशेषताएं :-

1. सुभाष नगर योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड पर्याप्त चौड़ाई की सड़क पर है।
2. भूखण्ड पूर्व की विकसित योजनाओं के अंतर्गत है।
3. डिमार्केशन / प्लिंथ लेवल भूखण्ड है।
- 4.. बेट्टी गौरव पार्क के समीप है।

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	12 X 27	324	3486.24	7	1,22,01,840/-	12,20,000/-
2	7.5 X 15	112.5	1210.50	30	42,36,750/-	4,30,000/-
3	6 X 12	72	774.72	15	27,11,520/-	2,80,000/-
योग				52		

7. अनन्तपुरा :-

योजना स्थल :-

अनन्तपुरा योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड कोटा-झालावाड़ रोड़ व सुभाष नगर-अनन्तपुरा रोड़ के मध्य में है।

योजना की विशेषताएं :-

1. अनन्तपुरा योजना के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड पर्याप्त चौड़ाई की सड़क पर है।
2. भूखण्ड पूर्व की विकसित योजना के अंतर्गत है।
3. डिमार्केशन/प्लिंथ लेवल भूखण्ड है।

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	7.5 X 15	112.5	1210.50	10	42,36,750/-	4,30,000/-
2	6 X 15	90	968.40	8	33,89,400/-	3,40,000/-
योग				18		

आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है :-

आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप :-

1. राजस्थान के मूल निवासी है।
2. आप की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष की हो चुकी हो।
3. आवेदन सम्बन्धी निर्धारित अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं।
4. आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह किसी भी साईज के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल, अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदिका विवरण

योजना का नाम : आर.के.पुरम् दर 3800/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (चौने कॉनर)	पंजीयन राशि
1	15 X 27	405	4357.80	15	1,65,59,640/-	16,60,000/-
2	12 X 27	324	3486.24	60	1,32,47,712/-	13,30,000/-
3	7.5 X 15	112.5	1210.5	27	45,99,900/-	4,60,000/-
योग				102		

आरक्षित दर 8,000/- प्रति वर्ग मीटर

योजना का नाम : श्रीनाथपुरम्

दर 3800/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	15 X 27	405	4357.80	15	1,65,59,640/-	16,60,000/-
2	12 X 27	324	3486.24	40	1,32,47,712/-	13,30,000/-
योग				55		

आरक्षित दर 8,000/- प्रति वर्ग मीटर

योजना का नाम :

स्वामी विवेकानन्द नगर

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	9 X 21	189	2033.64	13	71,17,740/-	7,20,000/-
2	7.5 X 15	112.5	1210.50	50	42,36,750/-	4,30,000/-
योग				63		

आरक्षित दर 8,000/- प्रति वर्ग मीटर

योजना का नाम :

रानी लक्ष्मी बाई नगर

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	15 X 27	405	4357.80	4	1,52,52,300/-	15,30,000/-
2	12 X 21	252	2711.52	7	94,90,320/-	9,50,000/-
3	9 X 18	162	1743.12	5	61,00,920/-	6,10,000/-
4	7.5 X 15	112.5	1210.5	5	42,36,750/-	4,30,000/-
योग				21		

आरक्षित दर 10,000/- प्रति वर्ग मीटर

योजना का नाम :

विनोबा भावे नगर

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	5 X 9	45	484.20	100	16,94,700/-	1,70,000/-
योग				100		

आरक्षित दर 7,500/- प्रति वर्ग मीटर

योजना का नाम : सुभाष नगर

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	12 X 27	324	3486.24	7	1,22,01,840/-	12,20,000/-
2	7.5 X 15	112.5	1210.50	30	42,36,750/-	4,30,000/-
3	6 X 12	72	774.72	15	27,11,520/-	2,80,000/-
योग				52		

आरक्षित दर 6,500/- प्रति वर्ग मीटर

योजना का नाम : अनन्तपुरा

दर 3500/- प्रति वर्ग फुट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	7.5 X 15	112.5	1210.50	10	42,36,750/-	4,30,000/-
2	6 X 15	90	968.40	8	33,89,400/-	3,40,000/-
योग				18		

आरक्षित दर 6,000/- प्रति वर्ग मीटर

योजनाओं में भूखण्डों की संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढाई जा सकती है। उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

योजना में पंजीयन राशि के साथ 2000/-रु. प्रशासनिक शुल्क राशि जमा होगी ,जो अदेय (Non Refundable) है।

पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर योग्य आय(Taxable Income) होने पर आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र है।
6. आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने हेतु वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना होगा।
7. संयुक्त नाम से आवेदन करने की स्थिति में दोनो एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।
2. योजना के अन्तर्गत सभी साइजों के लिए आवेदन पत्र एक ही है। कृपया कोष्ठक में सही (✓) का चिन्ह लगायें।
3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखें तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं० सहित शहर/जिले का नाम, आधार नं०, पिनकोड नं० सहित स्वच्छ लेख में लिखें। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० लिखें तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखें।
4. आवेदन पत्र अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करवाना होगा।
5. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।
6. आवेदन पत्र इस पुस्तिका में वर्णित शर्तों, विशेष अनुदेशों आदि का पूर्ण अध्ययन कर भरा जावे। आवेदन एकल नाम से या संयुक्त नाम से निश्चय करके ही भरा जावे। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
7. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करें, जो कॉलम लागू नहीं होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।
8. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित योजना के लिए निर्धारित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।
9. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें।

10. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनो आवेदकों के फोटो आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनो के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में देवें।

विशेष अनुदेश

1. आवेदक की आय कर योग्य (Taxable) होने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही **PAN CARD** की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए ।
2. आवेदक अपने खाते का एक कैंसिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंगन करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।
3. कृपया मोबाईल नं०, एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं०, ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योंकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।
4. दिव्यांग/शारीरिक निःशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते है। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
5. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
6. पत्राचार, मांग/आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
7. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, (मय प्रशासनिक) शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक **सचिव, नगर विकास न्यास कोटा** के पक्ष में देय होना चाहिए।

अथवा

पंजीकरण राशि मय प्रशासनिक शुल्क **RTGS** के माध्यम से भी (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) हस्तान्तरित करते हुये आवेदन पत्र मय चालान (**UTR No.** का उल्लेख करते हुए) निर्धारित बैंकों में से किसी भी बैंक की कोटा स्थित किसी भी शाखा में जमा कराया जा सकेगा।

आरक्षण :-

भूखण्डों की प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वर्गों के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस वर्ग के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हें उसी वर्ग के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य वर्ग में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जावेगा।

(a)राज्य सरकार के विभागों एवं स्थानीय निकायों व वैधानिक निकायों के कर्मचारी	सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं, जिनके पति की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ट्रांसजेण्डर	अधिस्वीकृत पत्रकार	सामान्य श्रेणी के लिए
(b)राज्य कर्मचारी की विधवा (राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तक) तथा पति की आय मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर						
(c)केन्द्र सरकार के कर्मचारी (राजस्थान के मूल निवासी)						
10%	10%	9%	6%	2%	2%	61%

कुल (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के) भूखण्डों के 5 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांग के लिए तथा 10 प्रतिशत बेसहारा भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए होगा।

नोट :- कुल भूखण्डों के 5 प्रतिशत की सीमा तक दिव्यांगों के लिए तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक बेसहारा, भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए आरक्षित करते हुए अर्थात् अलग करते हुए उनकी श्रेणीवार संख्या निकाली जाएगी। तत्पश्चात् उक्त 5 प्रतिशत की सीमा तक तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक के आवेदनों को श्रेणीवार (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणीवार) उपलब्ध भूखण्डों में से कम किया जायेगा। प्राप्त संख्या के अनुसार आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के भूखण्डों के लिए लॉटरी निकाली जायेगी।

स्पष्टीकरण :

1. राज्य कर्मचारी :

(a) : जो व्यक्ति राजस्थान सरकार, राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के अधीन नियमित रूप से कार्यरत है तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य/केन्द्र कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर को इस वर्ग में नहीं माना जावेगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

(b) राज्य कर्मचारी की विधवा भी राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तक इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र होगी, किन्तु उसके पति की वार्षिक आय, मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर ही पात्र होगी।

(c) केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं होने पर पात्र होंगे।

2. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ., कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी से है। सैनिकों की विधवाये वे हैं जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रुपयों से अधिक नहीं हो।

4. ट्रांसजेण्डर पर्सन जिनकी वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो, पात्र होंगे।

5. **अधिस्वीकृत पत्रकार** वे हैं जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हों। इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।
 6. **शारीरिक दिव्यांग** व्यक्ति वे हैं जो शारीरिक अयोग्यता के कारण दिव्यांग हो चुके हैं तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं। इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।
 7. **बेसहारा भूमिहीन एकल महिला** की श्रेणी में आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए पुनर्विवाह नहीं करने तथा विवाह विच्छेद होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की प्रति तथा पुनर्विवाह नहीं करने, आवेदक के पास आवास/भूखण्ड/भूमि नहीं होने, वयस्क सन्तान नहीं होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी (जो तहसीलदार के स्तर से कम नहीं हो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज संलग्न करना होगा। इस श्रेणी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं हो।
- किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस ग्रुप के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी ग्रुप के आवेदकों को किया जायेगा।
 - यदि किसी साईज/क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राप्त कुल आवेदन पत्र उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में कम हो तो श्रेणीवार लॉटरी नहीं निकाली जाकर उस साईज/क्षेत्रफल के उपलब्ध भूखण्ड एवं प्राप्त आवेदनों के आधार पर सकलित लॉटरी निकाली जायेगी।
 - आरक्षित वर्ग के संयुक्त आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
 - अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आवेदकों द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग में आवेदन नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे आवेदन पाये गये तो वह निरस्त योग्य होंगे।

एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक आवेदन किये जा सकते हैं। एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें एक से अधिक भूखण्ड आवंटन किये जा सकते हैं, किन्तु लॉटरी निकलने के पश्चात् भूखण्ड निरस्त करने/पंजीयन राशि वापसी की मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/- का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) दिनांक ड्राफ्ट/चैक संलग्न करते हुए आवेदन फार्म योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराना होगा।
2. पंजीकरण राशि यूआईटी कोट में देय, किसी भी बैंक के सिंगल दिनांक ड्राफ्ट/चे-ऑर्डर/चैक द्वारा आवेदन पुस्तिका में निर्धारित बैंक की किसी भी चयुक्त शाखा में जमा करनी होगी
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र आवेदन पुस्तिका में योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समाप्त से पूर्व जमा किये जा सकेंगे। यूआईटी समाप्त समय के पश्चात्, किसी भी कारण से आवेदन-पत्र की प्राप्ति में दिक्कत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इन्हें पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्र में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. किसी भी योजना में आवेदन के पूर्व मती-भांति विचार कर लें। आवेदन फार्म जमा करने के उपरान्त आवेदन विद्वा करते हुये जमा राशि वापस करने अथवा योजना/साईज में परिवर्तन करने के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. किसी भी शर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31-10-2022 है।

आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) समस्त वर्गों के लिए

1. निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक
2. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
3. कर योग्य आय (Taxable Income) होने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
4. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) की स्वप्रमाणित प्रति।
5. आवेदक के बैंक खाते का एक Cancelled चैक अथवा नवीनतम पास बुक की प्रति जिसमें खाता संख्या एवं बैंक के IFSC कोड नं. हो।

(ख) आरक्षित वर्ग के लिए:-

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों से संबंध रखता है, तो उसे निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि आवेदक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी/सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएं भी शामिल हैं, की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा जारी किए गए "अपेक्षित प्रमाण-पत्र" की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. राज्य सरकार के विभागों स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के कर्मचारियों/ केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, को सक्षम अधिकारी/अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. राज्य कर्मचारी की विधवा के द्वारा राज्य कर्मचारी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने पर उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु के समय राज्य कर्मचारी होने के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु के समय पति की वार्षिक आय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने के सम्बन्ध में ITR की प्रति या अन्य कोई साक्ष्य, पीपीओ की प्रति, उसकी पत्नि होने एवं पुनर्विवाह नहीं करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी में आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए पुनर्विवाह नहीं करने तथा विवाह विच्छेद होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की प्रति तथा पुनर्विवाह नहीं करने, आवेदक के पास आवास/भूखण्ड/ भूमि नहीं होने, वयस्क सन्तान नहीं होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी (जो तहसीलदार स्तर से कम नहीं हो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज संलग्न करना होगा। इस श्रेणी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं हो।

आवंटन की प्रक्रिया

- (1) लॉटरी योग्य भूखण्डों की कुल संख्या 411 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय मुख्य समाचार पत्रों में दी जावेगी।

- (2) किसी साईज/क्षेत्रफल के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उस साईज/क्षेत्रफल के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को किया जायेगा तथा किसी साईज/क्षेत्रफल के अन्तर्गत कुल उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में सभी श्रेणियों के प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या कम होने की स्थिति में सभी श्रेणियों के आवेदकों को भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।
- (3) आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लें।
- (4) पात्र आवेदन पत्रों के आधार पर सफल आवेदकों की सूची भी न्यास की वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota> पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
- (5) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र शिविर आयोजित करके उसमें वितरित किये जायेंगे अथवा पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे। सफल आवंटियों की सूची न्यास की वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota> पर अपलोड करवाई जायेगी तथा न्यास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। ऐसी स्थिति में आवेदक/आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नहीं मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

नांगी गई राशि के भुगतान की अवधि पद्धति:-

आवंटित भूखण्ड का भुगतान निम्नानुसार जना करवाना होगा :-

- आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में 15 प्रतिशत,
- आवंटन पत्र जारी होने के 120 दिवस में 35 प्रतिशत,
- आवंटन पत्र जारी होने के 240 दिवस में 50 प्रतिशत (जना पंजीयन राशि कम करते हुए)

नोट:-

1. देय राशि उपरोक्तानुसार अथवा आवंटन पत्र जारी होने के 240 दिवस समाप्त होने से 90 दिवस की अवधि तक एक साथ नय ब्याज जना करवाया जा सकता है, इसके अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा जना सम्पूर्ण राशि जब कर ली जायेगी।
2. आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिवस में सम्पूर्ण राशि एक नुस्त जना करने पर भूखण्ड की कुल कीमत की 5 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
3. साईट प्लान के रु. 200/- देय अन्तिम किस्त अर्थात् देय 50 प्रतिशत राशि के साथ तथा यदि सम्पूर्ण राशि एक नुस्त जना करवाई जाती है तो उसके साथ जना करवाने होंगे।

आवेदन पत्र के साथ जना करवाई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जायेगी। शेष भुगतान योग्य राशि स्थानीय बैंक/डी.डी./पे ऑर्डर द्वारा न्यास में जना करवाई जा सकेगी अथवा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में निर्धारित अवधि में जना करवाते हुए न्यास को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में न्यास खाते में राशि जना करने का दायित्व आवंटी का होगा।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसी:-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी/धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिह्नित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।
3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां डाक/कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार डाक/कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक/आवंटिती द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी- यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योंकि इन ब्योरों को धन वापसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) :-

सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी, हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी किया जा सकेगा। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्डों की रजिस्ट्री:-

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर न्यास में पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। 12 माह के अन्दर पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर न्यास द्वारा रु. 2000/- प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनाल्टी) लगाई जावेगी। तदपरान्त नगरीय कर (लीज) जमा करने पर न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। आवंटी द्वारा इस पट्टा विलेख का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1. भूखण्ड पर नगरीय कर योजना की आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार जमा करवाना होगा। आवंटी को भूखण्ड की लीज डीड जारी करते समय नियमानुसार देय नगरीय कर (लीज मनी) की राशि आरक्षित दर पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। प्रथम 5 वर्ष में नगरीय कर आधी दर अर्थात् 1.25% प्रतिवर्ष देय है। प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात्/प्रत्येक हस्तानान्तरण पर नगरीय कर में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।
2. आठ (8) वर्ष के अग्रिम नगरीय कर पूर्ण दर से एकमुश्त जमा करवाने पर 99 वर्ष तक नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

भूखण्ड का कब्जा:-

लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए कब्जा पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी होने के बाद दो माह के अन्दर भूखण्ड का भौतिक कब्जा न्यास के अधिकृत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतिरिक्त भूमि होने पर नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड का हस्तान्तरण

आवंटी द्वारा भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करवाने के पश्चात पट्टा विलेख का पंजीयन करवाने, नगरीय कर जमा करवाने एवं कब्जा प्राप्त करने पर न्यास से स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड का हस्तान्तरण अर्थात् विक्रय किया जा सकता है। भूखण्ड के विक्रय हेतु स्वीकृति/अनुमति हेतु देय 10 प्रतिशत कर (लेवी) से मुक्त रखा गया है अर्थात् कोई कर (लेवी) देय नहीं है।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य:-

भूखण्ड पर 7 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य करना होगा। 7 वर्ष के अन्दर एक आवासीय इकाई का निर्माण नहीं करवाया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढ़ा सकते हैं। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

अन्य:-

1. भूखण्ड का पुनर्गठन/उपविभाजन न्यास की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डों की एक इकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट/चैक **सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होंगे।
6. भूखण्डों की माप, संख्या कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आवंटित भूखण्ड का कब्जा नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा राशि लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक भी हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे में रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तों का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदकों की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आवंटी से ली जावेगी।
11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ/उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदक योजना को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लेंगे तथा संतुष्टी के पश्चात ही आवेदन करें।
13. आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा निर्धारित साईज/क्षेत्रफल के लिए आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित अनुमानित कीमत के अलावा (a) कॉर्नर भूखण्ड होने पर 10% अतिरिक्त चार्ज (b) क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़े हुए क्षेत्रफल की राशि (c) नगरीय कर की राशि (d) रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में देय स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि चार्जेज देय होंगे। यदि आवंटी द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की जाती है जैसे - (i) समय पर राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो ब्याज/शास्ति (ii) समय पर रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख न्यास में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति (iii) निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करवाया जाता है तो लेवी/शास्ति (iv) निर्धारित अवधि में पंजीयन कार्यालय से पंजीयन कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति की राशि इत्यादि चार्जेज भी देय होंगे।
14. आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लाटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लाटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लें।

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री

..... आयु..... निवासी

..... घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) वह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) वह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवेदन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने/शर्तों की पूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुझे आवेदन मूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांक :

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री

..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये मूखण्ड का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

राज्य सरकार के विभाग/स्थानीय निकाय/वैधानिक निकाय अथवा
केन्द्र सरकार के कर्मचारी (राजस्थान के मूल निवासी) के लिए

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
.....इस कार्यालय/विभाग में दिनांक
..... से पद..... पर कार्यरत है तथा पे
बेण्ड में रनिंग पे बेण्ड..... है तथा इनकी ग्रेड पे है

इनका माह.....का वेतन निम्न प्रकार है :-

1. वेतन + ग्रेड पे	रुपये.....
2. विशेष वेतन	रुपये.....
3. डी.ए.	रुपये.....
4. मकान किराया भत्ता	रुपये.....
5. डेपूटेशन/शहरीय भत्ता	रुपये.....
6. अन्य	रुपये.....
योग	<u>रुपये.....</u>

कुल मासिक वेतन (समस्त भत्तों सहित)

रुपये प्रति माह अक्षरे रुपये.....

मात्र प्रतिमाह है। श्री.....इस विभाग की राजकीय
सेवा में अर्द्ध राजकीय सेवा में नियमित वेतन श्रृंखला में कार्यरत है।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी मय नाम पद एवं
मोहर

नोट :- यह प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी जो जिला स्तर के अधिकारी या उससे
उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
...../पुत्री/पत्नि श्री.....

निवासी.....

जिला.....(राज.) जाति..... के सदस्य है
जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत
राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
(कार्यालय की मोहर सहित)

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब
तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा
सकती है।)

बेसहारा, भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती

आधार कार्ड नं.

पति स्व. श्री/तलाकशुदा श्रीनिवासी.....

जिला.....

(1) श्रीमती के पति श्री.....
की मृत्यु दिनांक..... को हुई थी।

अथवा

श्रीमती के पति श्री.....
से विवाह विच्छेद हो गया है। विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में माननीय
न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री
दिनांक..... को जारी किया गया है।

- (2) इनके द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया है।
- (3) इनके पास आवास/भूखण्ड/भूमि नहीं है।
- (4) इनकी कोई वयस्क सन्तान नहीं है।
- (5) इनकी वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
(कार्यालय की मोहर सहित)

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।)

सैनिक कोटे के अन्तर्गत आरक्षित भूखण्डों हेतु स्व घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी.....

..... घोषणा करता/करती हूँ, कि:-

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदन कर रहा हूँ।
- (2) मैं थल/जल/वायुसेना/बी.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ./सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हूँ।
- (3) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो चुकी है। मैं उनके ऊपर आश्रित होने के आधार पर आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर रहा हूँ।
- (4) मेरी वार्षिक आय 20.00 लाख रूपए से अधिक नहीं है।
- (4) उक्त सम्बन्ध में प्रमाण हेतु दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूँ।

संलग्न

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री
..... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिव्यांग/निःशक्त / विकलांग (PwD)प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पति श्री निवासी.....

की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये नियमानुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों (Accredited Journalist)के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पति श्री निवासी.....

.....तहसील

जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

आम-जन की जानकारी हेतु :-



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

एकल खिडकी पर प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	विशेष विवरण
1.	लीज-डीड (रजिस्ट्री)	1. लीज-डीड (रजिस्ट्री) में 3 फोटो एवं आवंटी की आई.डी.	अवैध निर्माण होने की स्थिति में पृथक से अप्परटेकिंग (शपथ पत्र) मय फोटो नोटरी प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित अप्परटेकिंग (शपथ पत्र) में जिस कार्य हेतु आवेदन किया है उसे (✓) अंकित करें रोफ कॉलम को काट दिया जावे। मुख्तारआम से रजिस्ट्री की जाती है तो मुख्तारआम प्रमाणित/ स्वप्रमाणित एवं मुख्तारआम प्रभावी शपथ पत्र मय फोटो नोटरी प्रस्तुत किया जावे।
		2. दो गवाहों के नाम पते सहित हस्ताक्षर एवं उनकी आई.डी	
		3. आवंटन की छाया प्रति	
		4. सम्पूर्ण जमा की रसीद	
		5. कब्जा/साईसंस जारी किया हुआ हो तो उसकी छाया प्रति	
		6. अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	
		7. निर्धारित अप्परटेकिंग (शपथ पत्र)	
		8. प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	
2.	कब्जा पत्र	1. लीज-डीड (रजिस्ट्री) सब रजिस्ट्रार से पंजिबद्ध प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित प्रति	
		2. अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	
		3. प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	
3.	रहन अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र	1. लीज-डीड (रजिस्ट्री) सब रजिस्ट्रार से पंजिबद्ध प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित प्रति अथवा नाम हस्तान्तरण की प्रति (स्वप्रमाणित)	निर्धारित अप्परटेकिंग (शपथ पत्र) में यह भी अंकित किया जावे कि पूर्व में किसी बैंक/सहकारी समिति/वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया गया है अंकित किया जावे।
		2. जिस बैंक/सहकारी समिति से ऋण लिया जाना है उसका पत्र	
		3. अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	
		4. निर्धारित अप्परटेकिंग (शपथ पत्र)	
		5. प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	
4.	विक्रय स्वीकृति	1. लीज-डीड (रजिस्ट्री) सब रजिस्ट्रार से पंजिबद्ध प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित प्रति अथवा नाम हस्तान्तरण की प्रति (स्वप्रमाणित)	अवैध निर्माण होने की स्थिति में पृथक से अप्परटेकिंग (शपथ पत्र) मय फोटो नोटरी प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित अप्परटेकिंग (शपथ पत्र) में जिस कार्य हेतु आवेदन किया है उसे (✓) अंकित करें रोफ कॉलम को काट दिया जावे। मुख्तारआम से विक्रय स्वीकृति की जाती है तो मुख्तारआम प्रमाणित/ स्वप्रमाणित एवं मुख्तारआम प्रभावी शपथ पत्र मय फोटो नोटरी प्रस्तुत किया जावे।
		2. विक्रय स्वीकृति हेतु शपथ पत्र मय फोटो नोटरी	
		3. अग्रिम नगरीयकर (लीज) जमा की रसीद	
		4. निर्धारित अप्परटेकिंग (शपथ पत्र)	
		5. प्रोपर्टी आईडी एवं एस.एस.ओ.आई.डी संलग्न/अंकित किया जावे।	



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

कमांक:- एफ.11/विकय/2021/907

दिनांक:- 09.12.2021

:- कार्यालय आदेश :-

नगरीय विकास एवं स्वायत्तता शासन विभाग के आदेश कमांक प.17(1)नविमि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 2 नवम्बर, 2021 के अनुसार निर्माण शास्त्र के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये हैं :-

- भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 17 (आवंटित भूखण्ड बाबत)**
 - न्यास द्वारा वर्ष 1975 से 18-11-1997 तक लॉटरी से रियायती दर पर आवंटित भूखण्डों में आवंटन की दिनांक से 03 वर्ष परचात आवंटन के समय की आवंटन दर की 05% राशि वसूल करने का प्रावधान है। अतः ऐसे आवंटनों के सम्बन्ध में आवंटन तिथि से 03 वर्ष छोड़कर राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31-12-2019 तक गणना की जावे।
 - न्यास द्वारा दिनांक 18-11-1997 के परचात लॉटरी से रियायती दर पर आवंटन किये गये भूखण्डों में आवंटन की दिनांक से 05 वर्ष परचात आवंटन के समय की आवंटन दर की 05% राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31-12-2019 तक गणना की जावे।
- भूमि निस्तारण नियम, 1994 के नियम 14-ए (नीलामी के भूखण्डों बाबत)**
 - न्यास द्वारा दिनांक 15-01-2002 व इसके परचात दिनांक 20-08-2015 से पूर्व नीलामी किये गये भूखण्डों में कब्जा देने की दिनांक से 03 वर्ष परचात वर्तमान आरक्षित दर की 2.5% राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31-12-2019 तक गणना की जावे।
 - न्यास द्वारा दिनांक 20-08-2015 एवं इसके परचात नीलामी से आवंटित किये गये 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में कब्जा देने की दिनांक से 03 वर्ष परचात वर्तमान आरक्षित दर की 01% राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31-12-2019 तक गणना की जावे। (1000 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों पर पुनर्ग्रहण शुल्क निर्धारित अवधि के परचात देय अर्थात् 1000 वर्गमी. से 5000 वर्गमी. तक 5 वर्ष परचात तथा 5000 वर्गमी. से अधिक के भूखण्डों में 7 वर्ष परचात देय होगा।)

भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 17 (आवंटित भूखण्ड बाबत) एवं भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14-ए (नीलामी के भूखण्डों बाबत) निम्नानुसार कारण के अनुसार पुनर्ग्रहण राशि ली जावे:-

नियम 17(5) आवंटन के भूखण्ड बाबत						
1975 से 18-11-1997 तक	अधिसूचना दिनांक 18-11-1997 (18-11-97 से 16-9-19 तक)	अधिसूचना दिनांक 16-9-19 (16-9-19 से 4-1-21)	अधिसूचना दिनांक 4-1-21 (4-1-21 से 17-9-21)	अधिसूचना दिनांक 17-09-2021 (दिनांक 17-09-2021 से लगातार)		
आवंटन से 3 वर्ष - शून्य	आवंटन से 5 वर्ष - शून्य	आवंटन से 2 वर्ष - शून्य	कब्जा प्राप्ति के 5 वर्ष तक शून्य	अवधि	सीज होल्ड	की होल्ड
3 वर्ष परचात आवंटन कीमत का 5% प्रतिवर्ष	5 वर्ष के बाद - स्वतः निरस्त	2 वर्ष के बाद - स्वतः निरस्त	5 से 10 वर्ष तक वर्तमान आरक्षित दर का 1% प्रतिवर्ष	0 से 7 वर्ष	शून्य	शून्य
	निरस्त होने के 2 वर्ष बाद तक आवंटन की कीमत का 5% शास्त्र तथा इसके बाद न्यास मण्डल द्वारा 5% प्रतिवर्ष निर्माण शास्त्र पर नियमितिकरण	निरस्त होने के 2 वर्ष बाद तक आवंटन की कीमत का 5% शास्त्र तथा इसके बाद न्यास मण्डल द्वारा 5% प्रतिवर्ष निर्माण शास्त्र पर नियमितिकरण	10 वर्ष बाद - (गोटिस अवधि सहित) वर्तमान आरक्षित दर का 2% प्रतिवर्ष	7 वर्ष से 14 वर्ष तक	आवंटन की कीमत का 0.25% प्रतिवर्ष	आवंटन की कीमत का 0.10% प्रतिवर्ष

			नोटिस अवधि के बाद- निरस्त (आवंटी के आवेदन पर न्यास मण्डल राज्य सरकार की अनुमति से निरस्त भूखण्ड पर 2% प्रतिवर्ष अतिरिक्त शारित जमा कराने पर नियमितिकरण का प्रावधान)	14 वर्ष से 20 वर्ष तक	आवंटीन की कीमत का 0.50% प्रतिवर्ष	आवंटीन की कीमत का 0.25% प्रतिवर्ष
				20 वर्ष से 22 वर्ष तक (20 वर्ष पूर्ण होने पर आवंटी को दो वर्ष में निर्माण पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा)	आवंटीन की कीमत का 0.75% प्रतिवर्ष	आवंटीन की कीमत का 0.50% प्रतिवर्ष
				22 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त	सीजदीड रवत- निरस्त	की होल त्वत- निरस्त

नियम 14(A) नीलामी के भूखण्ड बाबत

अधिसूचना दिनांक 15.01.2002 (15.01.2002 से 20-08-2015 तक)	अधिसूचना दिनांक 20-08-2015 (20-08-2015 से 16-09-19 तक)	अधिसूचना दिनांक 16-09-19 (16-09-19 से 04-01-21)	अधिसूचना दिनांक 04-01-21 (04-01-21 से 17-09-21)	अधिसूचना दिनांक 17-09-2021 (दिनांक 17-09-2021 से लगातार)		
कब्जा देने की तिथि से 3 वर्ष- शून्य	1000 sqm तक (3 वर्ष तक) - शून्य	1000/1000 से 5000/above (3 वर्ष तक) - शून्य	कब्जा प्राप्ति के 5 वर्ष तक शून्य	अवधि	लॉज होल्ड	की होल्ड
कब्जा देने की तिथि से 3 वर्ष परचास रिजर्व प्राईस का 2.5% प्रतिवर्ष	1000 sqm से 5000 sqm तक (5 वर्ष तक) - शून्य	3 वर्ष के बाद वर्तमान R.P. का 1% प्रतिवर्ष	5 से 10 वर्ष तक वर्तमान आरक्षित दर का 1% प्रतिवर्ष	0 से 7 वर्ष	शून्य	शून्य
	5000 sqm से अधिक (7 वर्ष तक) - शून्य		10 वर्ष बाद - (नोटिस अवधि सहित) वर्तमान आरक्षित दर का 2% प्रतिवर्ष	7 वर्ष से 14 वर्ष तक	नीलामी के समय की R.P. का 0.25% प्रतिवर्ष	नीलामी के समय की R.P. का 0.10%
	3/5/7 वर्ष के बाद वर्तमान R.P. का 1% प्रतिवर्ष		नोटिस अवधि के बाद- निरस्त (आवंटी के आवेदन पर न्यास मण्डल राज्य सरकार की अनुमति से निरस्त भूखण्ड पर 2% प्रतिवर्ष अतिरिक्त शारित जमा कराने पर नियमितिकरण का प्रावधान)	14 वर्ष से 20 वर्ष तक	नीलामी के समय की R.P. का 0.50% प्रतिवर्ष	नीलामी के समय की R.P. का 0.25% प्रतिवर्ष

				20 वर्ष से 22 वर्ष तक (20 वर्ष पूर्ण होने पर आवंटनी को दो वर्ष में निर्माण पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया जायेगा)	नीलाकी के समय की R.P. का 0.75% प्रतिवर्ष	आवंटन की कीमत का 0.50% प्रतिवर्ष
				22 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त	लीजडीड स्वतः निरस्त	पी होल्ड स्वतः निरस्त

1. भूखण्ड पर निर्माण से- स्वतन्त्र भूखण्ड में एक इकाई निर्माण (एक कमरा रसोई और लेट-बाथ) तथा बड़े भूखण्ड जैसे व्यावसायिक कंप्लेक्स, मास, घुप हाऊसिंग, फ्लैट्स आदि में अछादित क्षेत्र में भूखण्ड के क्षेत्रफल के 1/5 भाग पर निर्माण केवल भूतल पूर्ण होने से है। उक्तानुसार निर्माण होने के परभाव निर्माण अवधि विस्तार एवं पुनर्ग्रहण शुल्क अपेक्षित नहीं है।
2. जिन प्रकरणों में निर्माण अवधि दिनांक 31-11-2019 बाद समाप्त होती है उनमें अभियान अवधि दिनांक 31-03-2022 तक बिना शुल्क के निर्माण अवधि विस्तार की जायेगी।
3. अधिसूचना 12-05-2020 के अनुसार सीजडीड/पट्टे में निर्माण हेतु निर्धारित अवधि में पुनर्ग्रहण शुल्क देकर दिनांक 31-03-2022 तक वृद्धि करने पर भवन निर्माण अनुज्ञा-पत्र में निर्धारित अवधि स्वतः दिनांक 31-03-2022 तक बढ़ी हुई मानी जायेगी।
4. भूमि निस्तारण नियम, 1974 के अन्तर्गत निर्माण अवधि की गणना भूखण्ड का कब्जा देना अथवा सुविचारें (सरक, बिजली, आदि) उरा क्षेत्र/ब्लाक/सेक्टर में उपलब्ध होने की दिनांक में से जो भी बाद में हो उस दिनांक से की जायेगा।
5. दिनांक 18-09-2019, 04-01-2021 व 17-09-2021 को नियमों में संशोधन किये गये प्राक्कान उक्त दिनाकों के परभाव के प्रकरणों के लिए है तथा तदनुसार पुनर्ग्रहण राशि देय होगी।
6. पुनर्ग्रहण राशि 40% व लीज राशि 10 वर्ष/2 वर्ष की एकमुश्त जमा कराने पर पी- होल्ड का पट्टा दिया जाये।
7. भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निकाय द्वारा जारी होने पर 03 वर्ष की अवधि तक निर्माण करना आवश्यक होगा। यदि निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाता है तो पुनर्ग्रहण राशि इन 03 वर्षों के लिए देय नहीं होगी।
8. दिनांक 31-03-2022 के परभाव पुनर्ग्रहण राशि में छूट देय नहीं होगी। सामारण पुनर्ग्रहण राशि देने पर निर्माण अवधि 03 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। पुनर्ग्रहण राशि नहीं देने पर तथा 03 वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर भूखण्ड का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

दिनांक 31-12-2019 से 31-03-2022 तक पुनर्ग्रहण राशि लागू नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही यह शर्त जोड़ी गई है कि पुनर्ग्रहण के प्रकरणों में दिनांक 31-12-2019 तक गणना से जो राशि बनती है उसमें 60 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये शेष 40% पुनर्ग्रहण राशि वसूल कर अभियान अवधि में दिनांक 31-03-2022 तक निर्माण अवधि विस्तार किया जाये।

उक्त आदेशा सुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः नहीं लौटाई जायेगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

विशेष :-

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक ए.17(1) अधि/निचम/2021 जयपुर दिनांक 13.12.2021 के अनुसार दिनांक 15.01.2002 से दि. 20.08.2013 से पूर्व तक नीलाम किए गए भूखण्डों में पुनर्ग्रहण राशि की गणना कब्जा देने की दिनांक से 3 वर्ष परभाव से आरंभ की जाकर, उक्त राशि को गणना दि. 20.08.2013 की आकृति दर की 2.5% राशि प्रतिवर्ष से दि. 31.12.2019 तक की जाकर राशि ली जाये।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना पत्र क्रमांक ए.17(1) अधि/निचम/2021 जयपुर दिनांक 16.12.2021 के अनुसार लीज होल्ड से जो होल्ड के सम्बन्ध में भूखण्डकारी द्वारा न्यास से जो होल्ड पट्टा प्राप्त करने पर पूर्व की बकाया पुनर्ग्रहण शुल्क में 75% की छूट प्रदान की जायेगी एवं जो होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 03 वर्ष तक पुनर्ग्रहण शुल्क देय नहीं होय। 3 वर्ष परभाव पुनर्ग्रहण शुल्क विध्यानुसार देय होगा।

नगर विकास न्यास परिसर में स्थित ई- मित्र नागरिक सुविधा केन्द्र

नाम ट्रांसफर के लिए दस्तावेज

- ₹50 के स्टाम्प पर (नोटरी प्रमाणित) शपथ पत्र
- रजिस्ट्री / हक त्याग पत्र / गिफ्ट डीड
- सेल परमिशन ■ आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु उपरान्त हस्तान्तरण में)
- एक से अधिक बार बेचान हुआ हो तो विक्रय पत्र एवं हस्तान्तरण पत्र

प्रॉपर्टी ID हेतु आवेदन

- आवंटन पत्र ■ रजिस्ट्री ■ कब्जा पत्र ■ नगरीय कर रसीद
- एक से अधिक बेचान किया गया हो तो उसका नाम हस्तान्तरण पत्र

कृषि भूमि कॉलोनी क्षेत्र

- ₹250 के स्टाम्प पर (नोटरी प्रमाणित) क्षतिपूर्ति बंधक पत्र
- रजिस्ट्री / हकत्याग पत्र / गिफ्ट डीड ■ सेल परमिशन
- आधार कार्ड ■ नगरीय प्रमाण पत्र
- एक से अधिक बार बेचान हुआ हो तो विक्रय पत्र एवं हस्तान्तरण पत्र

कृषि भूमि कॉलोनी क्षेत्र प्रॉपर्टी ID हेतु आवेदन

- आवंटन ■ पट्टा ■ लीज प्रमाण पत्र

SSO ID के लिए दस्तावेज

- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
- Gmail ID व उसके पासवर्ड

E-Auction / नीलामी के लिए दस्तावेज

- SSO ID ■ आधार कार्ड
- पेन कार्ड ■ बैंक पासबुक / चेक

निर्माण स्वीकृति हेतु दस्तावेज

- ₹100 पर निर्माण का शपथ पत्र ■ साइट प्लान
- प्लॉट का फोटो ■ प्रॉपर्टी आईडी
- नाम हस्तान्तरण हुआ हो तो उसका लेटर

NOTE: संपूर्ण दस्तावेज की जेरॉक्स है तो प्रार्थी द्वारा स्व प्रमाणित हो



नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :-

नवीनतम
स्व प्रमाणित
फोटो

आवेदन पत्र
7 आवासीय योजनाओं में भूखण्ड

निश्चित विक्रय दर पर लॉटरी के माध्यम से आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु

- आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम :
- आवेदक के पिता/पति का नाम :
- आवेदक का स्थाई पता..... मोबाईल/टेलिफोन नं
- बैंक खाता संख्या..... बैंक का नाम IFSC Code.....
स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER)
- आधार कार्ड नं.
- आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या है (कोष्ठक में लिखें)
- आवेदक निम्न से जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता है उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें
एस.सी. / एस.टी. / सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) /राज्य अथवा अर्द्ध राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/ट्रांसजेण्डर/शारीरिक निःशक्तजन/ बेसहारा भूमिहीन एकल महिला/सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नहीं करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।
- आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. आर.के.पुरम B | 2. श्रीनाथपुरम B एवं D, | 3. स्वामी विवेकानन्द नगर | 4. रानी लक्ष्मीबाई नगर |
| <input type="checkbox"/> 15 X 27 | <input type="checkbox"/> 15 X 27 | <input type="checkbox"/> 9 X 21 | <input type="checkbox"/> 15 X 27 |
| <input type="checkbox"/> 12 X 27 | <input type="checkbox"/> 12 X 27 | <input type="checkbox"/> 7.5 X 15 | <input type="checkbox"/> 12 X 21 |
| <input type="checkbox"/> 7.5 X 15 | | | <input type="checkbox"/> 9 X 18 |
| | | | <input type="checkbox"/> 7.5 X 15 |
| 5. विनोबा भावे नगर | 6. सुभाष नगर | 7. अनन्तपुरा | |
| <input type="checkbox"/> 5 X 9 | <input type="checkbox"/> 12 X 27 | <input type="checkbox"/> 7.5 X 15 | |
| | <input type="checkbox"/> 7.5 X 15 | <input type="checkbox"/> 6 X 15 | |
| | <input type="checkbox"/> 6 X 12 | | |

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (1) चालान नं. | (2) दिनांक |
| (3) राशि | (4) डी डी/चैक नं० |

10. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-

आधार कार्ड	PAN CARD	D.D./Cheque	कैसिनल चैक	आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र	निवास प्रमाण पत्र	स्वघोषणा पत्र
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. मैंने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्तें स्वीकार हैं।

12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

13. समय - समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाएँ सही एवं प्रमाणित हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद : 7 आवासीय योजनाओं में
भूखण्ड हेतु

क्रमांक

नाम.....
पता :

योजना का नाम.....
चालान राशि

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

7 आवासीय योजनाएं
श्रीनाथपुरम्
B व D

7 आवासीय योजनाएं
श्रीनाथपुरम्
B व D

7 आवासीय योजनाएं
श्रीनाथपुरम्
B व D

7 आवासीय योजनाएं
श्रीनाथपुरम्
B व D

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 16,60,000/-	
12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 13,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 16,60,000/-	
12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 13,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 16,60,000/-	
12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 13,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 16,60,000/-	
12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 13,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

7 आवासीय योजनाएं
स्वामी विवेकानन्द नगर

7 आवासीय योजनाएं
स्वामी विवेकानन्द नगर

7 आवासीय योजनाएं
स्वामी विवेकानन्द नगर

7 आवासीय योजनाएं
स्वामी विवेकानन्द नगर

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
9 X 21 = 189 वर्ग मीटर 7,20,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
9 X 21 = 189 वर्ग मीटर 7,20,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
9 X 21 = 189 वर्ग मीटर 7,20,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
9 X 21 = 189 वर्ग मीटर 7,20,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक	2,000/-
योग :-	

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

7 आवासीय योजनाएं
रानी लक्ष्मी बाई नगर

7 आवासीय योजनाएं
रानी लक्ष्मी बाई नगर

7 आवासीय योजनाएं
रानी लक्ष्मी बाई नगर

7 आवासीय योजनाएं
रानी लक्ष्मी बाई नगर

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 15,30,000/-	
12 X 21 = 252 वर्ग मीटर 9,50,000/-	
9 X 18 = 162 वर्ग मीटर 6,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 15,30,000/-	
12 X 21 = 252 वर्ग मीटर 9,50,000/-	
9 X 18 = 162 वर्ग मीटर 6,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 15,30,000/-	
12 X 21 = 252 वर्ग मीटर 9,50,000/-	
9 X 18 = 162 वर्ग मीटर 6,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
15 X 27 = 405 वर्ग मीटर 15,30,000/-	
12 X 21 = 252 वर्ग मीटर 9,50,000/-	
9 X 18 = 162 वर्ग मीटर 6,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

7 आवासीय
योजनाएं
**विनोबा भावे
नगर**

7 आवासीय
योजनाएं
**विनोबा भावे
नगर**

7 आवासीय
योजनाएं
**विनोबा भावे
नगर**

7 आवासीय
योजनाएं
**विनोबा भावे
नगर**

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
5 X 9 = 45 वर्ग मीटर	1,70,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	1,72,000/-

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
5 X 9 = 45 वर्ग मीटर	1,70,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	1,72,000/-

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
5 X 9 = 45 वर्ग मीटर	1,70,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	1,72,000/-

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
5 X 9 = 45 वर्ग मीटर	1,70,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चेक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	1,72,000/-

अक्षरे रूपये..... एक लाख बहत्तर हजार मात्र
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये..... एक लाख बहत्तर हजार मात्र
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये..... एक लाख बहत्तर हजार मात्र
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये..... एक लाख बहत्तर हजार मात्र
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:

नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:

नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यूआईडीओ को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:

नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:

नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

7 आवासीय
योजनाएं

सुभाष नगर

7 आवासीय
योजनाएं

सुभाष नगर

7 आवासीय
योजनाएं

सुभाष नगर

7 आवासीय
योजनाएं

सुभाष नगर

विवरण	रूपये	विवरण	रूपये	विवरण	रूपये	विवरण	रूपये
पंजीयन राशि		पंजीयन राशि		पंजीयन राशि		पंजीयन राशि	
12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 12,20,000/-		12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 12,20,000/-		12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 12,20,000/-		12 X 27 = 324 वर्ग मीटर 12,20,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-		7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-		7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-		7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
6 X 12 = 72 वर्ग मीटर 2,80,000/-		6 X 12 = 72 वर्ग मीटर 2,80,000/-		6 X 12 = 72 वर्ग मीटर 2,80,000/-		6 X 12 = 72 वर्ग मीटर 2,80,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चैक/डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क चैक/डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क चैक/डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क चैक/डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-		योग :-		योग :-		योग :-	

अक्षरे रूपये.....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संतान करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

बैंक का नाम :
Bank A/C:
IFSC Code:
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

7 आवासीय
योजनाएं

अनन्तपुरा

7 आवासीय
योजनाएं

अनन्तपुरा

7 आवासीय
योजनाएं

अनन्तपुरा

7 आवासीय
योजनाएं

अनन्तपुरा

विवरण	रूपये	विवरण	रूपये	विवरण	रूपये	विवरण	रूपये
पंजीयन राशि		पंजीयन राशि		पंजीयन राशि		पंजीयन राशि	
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-		7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-		7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-		7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर 4,30,000/-	
6 X 15 = 90 वर्ग मीटर 3,40,000/-		6 X 15 = 90 वर्ग मीटर 3,40,000/-		6 X 15 = 90 वर्ग मीटर 3,40,000/-		6 X 15 = 90 वर्ग मीटर 3,40,000/-	
प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क चैक/ डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-		योग :-		योग :-		योग :-	

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये.....
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

नगर विकास न्यास कोटा से भूखण्ड क्रय हेतु ई-ऑक्शन की प्रक्रिया।

URBAN IMPROVEMENT TRUST, KOTA

TERMS AND CONDITION OF AUCTION

(कोविड-19 के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में नीलामी में भूखण्ड क्रय करने पर विशेष शिथिलताओं सहित)

1. Earnest money : Every bidder shall be required before being permitted to bid in auction to deposit an earnest money (in short EMD) @ 2% of the bid start price of the plot which shall be refunded to him at the close of the bid or adjusted against premium, in case of successful bidder.
2. The highest bidder shall be required to deposit 15% amount of his bid within three working days from the date of auction. In case of failure to deposit the said amount within prescribed time limit, the EMD deposited by the bidder shall be forfeited and auction of land shall automatically stand cancelled.
3. After acceptance of the Bid the successful bidder shall deposit 35% of the Bid amount within 240 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 35% amount within 240 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 60 days or within extended time period as per provisions along interest at the rate of 15% on remaining amount from the date of auction.
4. Successful bidder shall deposit remaining 50% of the Bid amount within 360 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 50% amount within 360 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 90 days along interest at the rate of 15% on remaining amount from the date of auction.
5. If the successful bidder deposit the full amount within 15 days from the date of demand note, he will get 2 % rebate of the bid amount.
6. In case of failure to deposit the amount within the extended time period, the 15% amount initially deposited shall be forfeited and auction of the land shall automatically stand cancelled.
7. The bidder will have to submit the copy of PAN card.
8. Bid shall be acceptable in multiples of Rs. 10/- Per Sq. Ft in case of Residential Plot, Rs. 50/- Per Sq. Ft in case of Commercial Plot and Rs. 1000/- Per House/Constructed Shop.
9. Property is being sold on "as is where is" basis.
10. Area of plot can be increased or decreased as per actual site conditions. In case of excess area, extra amount will have to deposit and in case of short area, amount will be refunded.
11. The bidders are expected to kindly visit the site of proposed plot before participation in the bid process.
12. UIT, Kota reserves the right to accept or reject the highest bid, which shall be final and binding.
13. Terms & Conditions of UIT, Kota shall apply.
14. As per Income Tax proviso 194-IA a Transferee (Purchaser) is responsible to deposit 0.75% TDS of immovable property which cost is 50 lakhs or more than 50 lakhs.

नगर विकास न्यास कोटा से ई- ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत भूखण्ड की नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया:-

1. ई ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम बिडर को <https://sso.rajasthan.gov.in> पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा यूजर आ ई-डी तथा पासवर्ड से लॉगिन करना होगा तथा Application tab पर क्लिक करके, URBAN SERVICES पर क्लिक करके, Citizen Servives में E Auction की Services को Subscribe करना होगा।
2. तत्पश्चात My Profile tab में add new profile पर क्लिक करके, यदि आप व्यक्तिगत रूप से नीलामी में भाग लेना चाहते है तो Individual Profile पर क्लिक करना होगा अन्यथा यदि आप किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना चाहते है तो Non Individual पर क्लिक करना होगा। Profile Create करना तथा approved होना, न्यास की E-Auction में भागीदारी के लिए आवश्यक है।
3. Refund Account tab में refund के लिए bank account add करना आवश्यक है।
4. E Auction tab में upcoming/running auction में View Details पर क्लिक करके Plot की सम्पूर्ण डिटेल देखी जा सकती है तथा Participate button पर क्लिक करके Participation Fee तथा EMD का पेमेन्ट करके बिडर ई ऑक्शन में भाग ले सकेगा।

Note:- ई ऑक्शन की प्रक्रिया में प्रोफाइल अप्रूवल तथा रिफंड अकाउंट अप्रूवल में सामान्यतः 2 से 3 कार्य दिवस का समय लगता है। अतः समय रहते हुए यह कार्य कर लेवे, अंतिम तिथि का इंतजार न करें।

आवेदन पत्र हेतु विशेष सूचना

- आर.के.पुरम, श्रीनाथपुरम् स्वामी विवेकानन्द नगर, रानी लक्ष्मीबाई नगर, विनोबा भावे नगर, सुभाष नगर तथा अनन्तपुरा योजना में से किसी भी योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदन पुस्तिका/फॉर्म नीचे उल्लेखित बैंकों में से किसी भी बैंक से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं -
 1. बैंक ऑफ बड़ौदा
 2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 3. ICICI बैंक
 4. पंजाब नेशनल बैंक
- उक्त सभी योजनाओं के लिए आवेदन पुस्तिका/आवेदन फॉर्म एक ही है किन्तु चालान फॉर्म योजनावार पृथक-पृथक है। अतः आवेदन फॉर्म के साथ योजना के लिए निर्धारित चालान फॉर्म (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है) संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन फॉर्म उक्त बैंकों में से किसी भी बैंक की कोटा स्थित किसी भी शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं।
- आवेदन पत्र जिस बैंक में जमा कराना चाहते हैं उसका उल्लेख आवेदन फॉर्म एवं चालान में करें। चालान फॉर्म में उस बैंक के खाता संख्या एवं IFSC Code का भी उल्लेख करें।
- आवेदन एक से अधिक आवेदन करना चाहता है तो उसे उतने ही संख्या में आवेदन पुस्तिका/फॉर्म क्रय करके भरना होगा।

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC Code
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	53560100008394	BARB0SHRINA
2.	बड़ौदा राज.क्षे.ग्रा. बैंक	45810100217379	BARB0BRGBXX (Fifth digit is Zero)
3.	ICICI बैंक	018401008887	ICIC0000184
4.	पंजाब नेशनल बैंक	1134100100001954	PUNB0113410